# न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(सुबे सिंह यादव,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 05/20118

विनोद स्वामी पुत्र रमेश स्वामी निवासी सदापुरा पोस्ट मनोहरपुर तहसील सरवाड जिला अजमेर राज0

--अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी पीपलू

-प्रत्यर्थी

**अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005**

**निर्णय** **दिनांक 14.03.2018**

अपील अपीलाण्ट संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी पीपलू को आवेदन पत्र दिनांक 06.12.2017 को प्रेषित कर अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गईः-

1-किसी राजस्व ग्राम के नक्शा लट्ठा मे तरमीम किस आधार पर की जाती है? इससे संबंधित LR Act-1956 या RT Act 1955 की छायाप्रति तथा दिनांक 01.01.2013 से 30.11.2017 तक तहसील पीपलू मे की गई तरमीमो का ग्रामवार मासिक संख्यात्मक विवरण।

2-राजस्व ग्राम हरिपुरा,भू.अ.नि. वृत बनवाडा मे दिनांक 30.11.2017 तक तरमीम से अवशेष खसरो की संख्या तथा ख0नं0 576/1,576/2,576/3,576/4,576/5 कुल पांच खसरो के नजरी नक्शा की छायाप्रतियां।

3-राजस्व ग्राम हरिपुरा के ख0नं0 576/2 व 576/5 के वर्तमान खातेदारो के नाम रिकॉर्ड पटवार मे जरिये नामान्तकरण अमल दरामद के विवरण की सत्यापित छायाप्रति।

4-उक्त ग्राम के ख0नं0 576/3 से 01.01.1971 से 30.11.2017 तक प्राप्त राजस्व(भू-राजस्व,नामान्तकरण शुल्क,फसल नीलामी से प्राप्त शुल्क,जुर्माना राशि आदि) का मदवार विवरण।

5-तहसील पीपलू मे वर्तमान मे विधमान वैध व अवैध कुओ का ग्रामवार विवरण तथा राजस्व ग्राम हरिपुरा के समस्त कुओ का विवरण मय काश्तकार का नाम।

6-तहसीलदार पीपलू श्री दौलतसिंह राठौड के विरूद्ध तहसील पीपलू मे कार्यग्रहण से दिनांक 30.11.2017 तक प्राप्त शिकायतो का विवरण मय शिकायतकर्ता का नाम तथा इन पर कार्यालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू द्वारा आदिनांक तक की गई कार्यवाही या प्रेषित पत्र व्यवहार/नोटिस की छायाप्रतियां।

7-कार्यालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू व कार्यालय तहसीलदार पीपलू मे दिनांक 01.06.2016 से 30.11.2017 तक प्राप्त आर.टी.आई प्रकरण मय आवेदक तथा निस्तारित प्रकरणो का विवरण।

8-उक्त कार्यालयो मे उक्त अवधि मे प्राप्त गै0मु0 रास्ता खुलासा करने बाबत प्रकरणो की संख्या व निस्तारित प्रकरणो का विवरण मय शिकायतकर्ता तथा राजस्व ग्राम हरिपुरा के ख0नं0 576/6 को खुलासा करने हेतु अब तक की गई सम्पूर्ण कार्यवाही का विवरण।

जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर

9–आदिनांक तक ग्राम हरिपुरा के ख0नं0 576 / 6 गै0मु0 रास्ता की तरमीम परिर्वतन हेतु कार्यालय मे प्राप्त प्रार्थना पत्रो(सामान्य प्रशासन / न्यायालय) का विवरण व उक्त रास्ते के विवाद मे थाना वृत पीपलू मे दर्ज प्राथमिकी रिपोर्ट का विवरण।

10–माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल के निर्णय की पालना मे राजस्व ग्राम हरिपुरा के आवंटी रामदास पुत्र कोरा हरिजन के रिकार्ड पटवार मे अमल दरामद जारिये ना0कं0 1542 / 04.08.2017 हेतु श्रीमान तहसीलदार पीपलू द्वारा क्या किसी सक्षम अधिकारी / न्यायालय से मार्गदर्शन हेतु पत्र व्यवहार किया गया है?

अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुऐ।लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी पीपलू से अपील के संबंध मे जवाब भिजवाने हेतु पंत्राक 214 दिनांक 31.01.2018,286 दिनांक 14.02.2018 व 418 दिनांक 28.02.2018 द्वारा निर्देशित किये जाने के उपरान्त भी जवाब प्राप्त नही हुआ है।जबकि अपीलार्थी उनके द्वारा आवेदित सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है।

फलतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी उनियारा को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को उनके द्वारा आवेदित तथा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दी जाने योग्य सूचना निर्णय की प्रति प्राप्ति से 15 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करावें। अपीलार्थी व लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी पीपलू को निर्णय की प्रति प्रेषित कि जावे।

(सुबे सिंह यादव)
जिला कलेक्टर एंव
प्रथम अपील अधिकारी टोंक